

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

विषय— राज्य सरकार के शासनादेश संख्या – 14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024 दिनांक 28 जून 2024 के तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संया 9691 / IV-F-82 (Pension) Admin.(A) दिनांक 16 जुलाई 2024, के क्रम में **पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प** (O.P.S. – Old Pension Scheme) लिए जाने के संबंध में

माननीय महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी कि नियुक्ति राज्य सरकार के रिक्त विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 15-11-2023 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 20-04-2006 को नियुक्त हुआ था।


उक्त शासनादेश के प्रकाश में प्रार्थी **पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प** (O.P.S. – Old Pension Scheme) का विकल्प चयनित कर रहा है।

अतः उक्त शासनादेश के तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र उचित माध्यम माननीय जिला जज अलीगढ़ के माध्यम से अग्रसारित कराकर पृथक से प्रेषित कर रहा है तथा ई सर्विस पोर्टल पर भी **पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प** (O.P.S. – Old Pension Scheme) का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय

दिनांक-05-08-2024

  
( प्रवीण कुमार पाण्डेय )  
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) /  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अलीगढ़ ।

संलग्नक— प्रार्थनापत्र एवं **पुरानी पेन्शन योजना का विकल्प पत्र** (O.P.S. – Old Pension Scheme) की स्कैन कापी भी अपलोड की जा रही है।